न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2607—दो/2014 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 04—08—2014 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण कमांक 1300/अपील/2012—13.

....

पंकज सिंह तनय श्री इन्द्रबहादुर सिंह
निवासी ग्राम झाली तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—सूर्यभान सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह
निवासी ग्राम झाली जिला सतना म0प्र0
2— मु0 चन्द्रकली बेवा स्व0 गुलाब सिंह
3— मयंक सिंह पिता श्री इन्द्रबहादुर सिंह
4— इन्द्र बहादुर सिंह पिता स्व0 गुलाब सिंह
निवासीगण ग्राम झाली तहसील रघुराजनगर
जिला सतना म0प्र0

——— अनावेदकगण

....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री कुंवर सिंह कुशवाह अभिभाषक, अनावेदक 1 एवं
श्री राजेन्द्र जैन अभिभाषक अनावेदक कमांक—1
शेष अनावेदकगण सूचना उपरांत अनुपस्थित

....

आदेश
(आज दिनांक 30/8/2017 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी न्यायालय अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 04–08–2014 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 (संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 की मां ने अधीनस्थ न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के समक्ष ग्राम झाली की आराजी कुल किता 07 कुल रकवा 7.995 है0 के बटवारा हेतु संहिता की धारा– 178/109/110 के अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत कियां उक्त आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर अनावेदक कमांक –1 को कोई सूचना नहीं दी गई तथा अनावेदक कमांक–1 झूठी सहमति का उल्लेख कर अनावेदक के भाई इन्द्रबहादुर सिंह अपने पुत्रों मंयक सिंह,, पंकज सिंह को लाभ पहुंचाने के लिये विधि विपरीत तरीके से अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण कमांक 63/अ–27/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.3.10 से बंटवारा करा लिया जिससे परिवेदित होकर अनावेदक सूर्यभान सिंह द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर के न्यायालय में अपील प्रसतुत की जो दिनांक 30.8.13 को स्वीकार की गई इससे दुखित होकर आवेदक पंकज सिंह द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई जिसे अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 30.8.13 स्थिर रखते हुये अपील दिनांक 4.8.14 द्वारा निरस्त की गई जिससे परिवेदित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अनावेदक कमांक–1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किया था जिसमें न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण कमांक 63/अ–27/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.3.10 से निरस्त किये जाने की अपील की गई थी। विचारण न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के समक्ष रेस्पा0 कमांक 2 चन्द्रकली सिंह ने धारा 178 के तहत आवेदन दिया था, व ग्राम झाली की आराजिया कुल किता 7 रकवा 7.995 है0 के बंटवारा हेतु आवेदन किया था उक्त प्रकरण में अपीलांट व रेस्पोडेंटगण सभी पक्षकार थे। परन्तु रेस्पा0 कमांक 1 सूर्यभान को सूचना दिये

बिना मनमाने तरीके से रेस्पा0 कमांक 4 ने अपने पुत्रों रेस्पा0 कमांक 3 मंयक व अपीलाट पंकज सिंह को लाभ पहुंचाने के उददेश से बटवारा विधि विपरीत तरीके से कर लिया। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधीनस्थ न्यायालय को आदेश एकतरफा दृष्टिकोण से परिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। जबकि अपीलांट व रेस्पा0 कमांक 2, 3, 4 ने अपने साक्ष्य व तर्को से अपना पक्ष विधिवत प्रमाणित किया था। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने इस्तहार का प्रकाशन विधिसंगत तरीके से नहीं होने का लेख किया है स्पष्ट नहीं किया कि किस प्रकार से विधि संगत नहीं। जबकि विधि में बने प्रावधानों के अनुसार अपीलीय न्यायालय को भी अधिनस्थ न्यायालय द्वारा की गई प्रकियात्क त्रुटि को सुधारने का वैधानिक अधिकार हैं किसी भी पक्ष को प्रकियात्मक त्रुटि को आधार मानकर न्याय से वंचित नहीं किया जा सकता है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा इस पर ध्यान आकर्षित न कर निगराकार के द्वारा प्रस्तुत किया है जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश में यह भी आधार लिया है कि मंयक सिंह व पंकज सिंह विवादित आराजियों में सहखातेदार नही है यहां स्पष्ट किया जाता है कि चन्द्रकली ने स्वयं बंटवारा कराना चाहा है और वे अपना हिस्सा किसी को भी स्वेच्छा से कम या ज्यादा दे सकती थी इस कार्य हेतु किसी प्रकार से पाबंदी नहीं है। विचारण न्यायालय अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के समक्ष स्वयं रेस्पा0 कमांक–1 ने स्वयं उपस्थित होकर अपने बयान दर्ज कराये थे, इस महत्वपूर्ण तथ्य को अंधीनस्थ न्यायालय ने विचार नहीं किया। बिना हस्तलेख विशेषज्ञ की राय के बिना सूर्यभान के हस्ताक्षर को मानने के संबंधमें कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर एवं अपर आयुक्त रीवा द्वारा पारित आदेशों को निरस्त कर आवेदक की निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– अनावेदक कमांक–1 के अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क में कहा गया है कि चन्द्रकली द्वारा बटवारे नामांतरण का आवेदन दिया गया था जिसमें अनावेदक कमांक–1 को कोई सूचना नहीं

गया है कि इन्द्रबहादुर सिंह सगे भाई हैं उसने अपने पुत्रों को विधि विरूद्व लाभ पहुंचाने यानी पैत्रिक जमीन को उनके नाम कराने के लिये तत्कालीन पटवारी को प्रभावित कर एवं अधीनस्थ न्यायालय को प्रभावित कर प्रश्नाधीन आदेश पारित करा लिया। अंत में उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का प्रकरण कमांक 50/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.8.13 एवं अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1300/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4.8.14 उचित होने से स्थिर रखे जाने का अनुरोध किया गया है। उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त की जावे।

5–उभयपक्ष के अधिवक्तागण द्वारा लिखित तर्क प्रस्तुत किये गये जिसका अध्ययन किया गया। आवेदक अधिवक्ता द्वारा उन्हीं तथ्यों को दौहराया गया है जो उनकी निगरानी में उल्लेख किया गया है। प्रकरण में संलग्न अभिलेखों का अवलोकन किया गया। निगरानी में अनावेदक कमांक–1 की तामीली के संबंध में उल्लेख किया है कि विधि अनुसार तामील की गई थी तथा इश्तहार का प्रकाशन किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 30.8.13 का अवलोकन किया जिसमें यह उल्लेख है कि अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया अधीनस्थ न्यायालय के मूल प्रकरण के अवलोकन से विदित होता है कि उत्तरवादी कमांक –1 द्वारा संहिता की धारा 178, 109, 110 के अन्तर्गत ग्राम झाली की विवादित भूमियों खाता विभाजन का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इश्तहार प्रकाशन कराये जाने का लेख आदेश पत्रिका में किया गया है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न इश्तहार का अवलोकन करने से विदित होता है कि इश्तहार का प्रकाशन विधिसंगत तरीके से नहीं कराया गया। धारा 178 की कार्यवाही में यदि उद्घोषणा का प्रकाशन विधिवत नहीं कराया जाताहै तो उसके उपरांत की गई संपूर्ण कार्यवाही शून्यवत हो जाती है । इसके अतिरिक्त रेस्पो0 कमांक 3, 4. विवादित आराजियों के सहखातेदार नहीं है, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण में संलग्न फर्द बटवारा में आराजियों का अधिकांश हिस्सा उनके पक्ष में प्रदान किया गया है । सूर्यभान का 1/3 हिस्सा होता है

किन्तु अपीलार्थी को मात्र मात्र 0.393 है0 भूमि हिस्से में प्रदान की गई है। इससे अधीनस्थ न्यायालय का आदेश त्रुटिपूर्ण है।

6– अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा अपने आदेश के पैरा–6 में धारा–5 के आवेदन पर विस्तार से विवेचना की है जिसमें अनावेदक कमांक–1 सूर्यभान को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई है और बिना सूचना के आदेश पारित कर दियां गया है।

7– अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना के प्रकरण कमांक 63/अ–27/2009–10 में पारित आदेश दिनांक 30.3.10 का अभिलेख का अवलोकन किया जिसमें दिनांक 4.2.10 को चन्द्रकली के द्वारा धारा 178, 109, 110 के तहत आवेदन दिया गया पीठासीन अधिकारी द्वारा अनावेदकगण को सूचना जारी करने के आदेश दिये गये हैं। अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना की नस्ती में ऐसा कोई सूचना पत्र जारी होना नहीं पाया गया। मयंक सिंह इन्द्रबहादुर सिंह पंकज सिंह दिनांक 6.3.10 को उपस्थित हुये परन्तु सूर्यभान उस दिनांक को उपस्थित नहीं हैं, पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं उनके द्वारा अगली तिथि की नोटिस जारी नहीं की गई दिनांक 22.3.10 को बिना जानकारी के सूर्यभान के हस्ताक्षर आदेश पत्रिका में अंकित किये। इसी प्रकार उद्घोषणा इश्तहार, म्याद 30 दिवस के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि दिनांक 4.2.10 को इश्तहार जारी करने का उल्लेख है तथा दिनांक 6.3.10 तक आपत्ति आमंत्रित की गई थी, किन्तु अधीक्षक भू–अभिलेख (भू–प्रबंधन) सतना द्वारा उपरोक्त प्रकिया का पालन नहीं किया गया तथा दिनांक 22.3.10 को सूर्यभान सिंह की उपस्थिति दर्शाकर उनके कथन लिखे गये। दिनांक 22.3.10 को आदेश पत्रिका में अनावेदक के कथन लिये जाने का उल्लेख है। इस आदेश पत्रिका में पंकज सिंह के हस्ताक्षर नहीं है, परन्तु उनके कथन लिये गये हैं।

8– उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि संहिता की धारा 178, 109, 110 के तहत दिये गये आवेदन पर में चन्द्रकली के वारिसों के मध्य बटवारा होना चाहिये। चन्द्रकली गुलाब सिंह की पत्नी थी तथा इन्द्रबाहदुर सिंह एवं सूर्यभान सिंह उनके दो पुत्र हैं। इस प्रकार सर्व नामांतरण

सिंह एवं पंकज सिंह गुलाब सिंह के प्रथम वारिस नहीं है, उनके बीच बटवारा किया जाना पूर्णतः नियम विरूद्व था । अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर जिला सतना द्वारा अपने आदेश में यह माना है कि सूर्यभान सिंह को मात्र 0.339 है0 भूमि हिस्से में दी गई है। जबकि सूर्यभान सिंह का हिस्सा संपूर्ण भूमि में 1/3 होता है। इस प्रकार अनुविभागीय अधिकारी का विनिश्चय पूर्णतः विधि अनुसार है, उसमें कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का आदेश दिनांक 30.8.13 अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा द्वारा स्थिर रखा गया है जो उचित है।

6– परिणामस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी रघुराजनगर का प्रकरण कमांक 50/अपील/12–13 में पारित आदेश दिनांक 30.8.13 एवं अपर आयुक्त रीवा के प्रकरण कमांक 1300/अपील/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 4.8.14 उचित होने से स्थिर रखे जाते हैं। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर